



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042021-226778
CG-DL-E-27042021-226778

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1581]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 2021/वैशाख 7, 1943

No. 1581]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 2021/VAISAKHA 7, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2021

का.आ.1704(अ).— केंद्र सरकार, प्रत्यक्ष कर 'विवाद से विश्वास' विधेयक 2020 (2020 का 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 85/2020 दिनांक 27 अक्तूबर, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) का.आ. संख्यांक 3847(अ) दिनांक 27 अक्तूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) खंड (ख) में "30 अप्रैल, 2021" अंकों, अक्षरों तथा शब्दों के स्थान पर "30 जून, 2021" अंकों, अक्षरों तथा शब्दों का प्रतिस्थापन किया जाएगा।

(ii) खंड (ग) में “1 मई, 2021” अंकों, अक्षरों तथा शब्दों के स्थान पर “1 जुलाई, 2021” अंकों, अक्षरों तथा शब्दों का प्रतिस्थापन किया जाएगा।

[अधिसूचना सं.39/2021/फा.स.आईटी (ए)/01/2020टीपीएल]

राजेश कुमार भूत, संयुक्त सचिव कर नीति एवं विधान प्रभाग

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) दिनांक 27 अक्तूबर, 2020 को संख्याक का.आ. 3847(अ) को प्रकाशित की गई थी। तत्पश्चात् अधिसूचना संख्याक का.आ. 4804(अ) दिनांक 31 दिसंबर, 2020 को संशोधित की गई और अधिसूचना संख्या 471(अ) दिनांक 31 जनवरी, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, धारा 3 उपधारा (ii) में प्रकाशित की गई थी। तथा अधिसूचना संख्या 964(अ) दिनांक 26 फरवरी, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, धारा 3 उपधारा (ii) में प्रकाशित की गई थी।